क्रमांक 15011/36/2022-जेयूएस(एयू)/ई6889

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में मई, 2024 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग की मई, 2024 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं। :

1. **<u>ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना</u>**:

क. **एनजेडीजी**: अप्रैल, 2024 में, कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 18 लाख से अधिक मामलों और 31 लाख से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजीडीजे) पोर्टल में जोड़ी गई थी।

ख. **ई-सेवा केंद्र**: अप्रैल, 2024 माह में 53 नए ई-सेवा केंद्रों का निर्माण किया गया है।

ग. **वर्चुअल कोर्ट:** अप्रैल, 2024 में, 25 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 18,38,651 मामलों को निपटाया गया है, और 1,39,275 मामलों में 4.24 करोड़ रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया है।

घ. **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:** अप्रैल, 2024 माह में, वीसी मोड का उपयोग करके जिला और अधीनस्थ अदालतों ने 2,76,476 मामलों की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 75,656 मामलों (कुल 3.52 लाख) की सुनवाई की।

ड़ **ई-कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप डाउनलोड**: ई-कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप में अप्रैल, 2024 माह में 5 लाख अतिरिक्त डाउनलोड देखे गए हैं।

च. **जजों के लिए JustIs ऐप डाउनलोड**: जस्टिस मोबाइल ऐप में अप्रैल, 2024 माह में 161 अतिरिक्त डाउनलोड देखे गए हैं।

2. **<u>न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना:</u>**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, जिसमें ग्राम न्यायालय की योजना के लिए आवंटित 2.00 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इसमें से इस योजना के तहत 214.575 करोड़ रुपये की राशि मई, 2024 में जारी की जा चुकी है।

3. **<u>टेली-लॉ: वंचितों तक पहुँचना:</u>**

क. मई माह में 3,51,610 लाभार्थियों को तथा इस माह तक 86,12,546 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई।

ख. इस माह के दौरान, ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), न्याय सहायकों, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 77 जिलों में आयोजित 98 जागरूकता सत्रों/शिविरों में 2045 लोगों ने भाग लिया।

ग. माह के दौरान 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 101 जिलों में आयोजित 102 प्रशिक्षण सत्रों में 4700 लोगों ने भाग लिया।

4. **<u>न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विस) कार्यक्रम</u>**:

माह के दौरान, न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 84 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत किया गया। अब तक, 11,083 (पुरुष-9287, महिला-1794, ट्रांसजेंडर-02) प्रो बोनो अधिवक्ता न्याय बंधु पोर्टल के तहत शामिल हो चुके हैं।

5. **<u>कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी):</u>**

क. डिजिटल कानूनी साक्षरता के भाग के रूप में, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु, कर्नाटक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों - इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और एनएलएसआईयू वेबसाइट के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर लघु वीडियो प्रसारित किए और 29,821 दर्शकों तक पहुंचे।

ख. माह के दौरान, शैडो एडवरटाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस प्रा. लिमिटेड भुवनेश्वर, ओडिशा, ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने डिजिटल कानूनी साक्षरता अभियान को जारी रखा और मातृत्व लाभ, बाल श्रम, विकलांगता अधिकार और वन अधिकार को कवर करते हुए 18,215 दर्शकों तक पहुंच बनाई।

ग. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र ने 29 विधि दूतों के लिए मई 21-22, 2024 को धाराशिव जिले में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 82 विधि दूतों के लिए मई 24-25, 2024 को महाराष्ट्र के वशीम जिले में आयोजित किया गया।

घ. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिनांक 28 मई 2024 को अपने ज्ञान दर्शन टीवी चैनल पर **'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम'** पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया और इसे 329 दर्शकों द्वारा देखा गया।

ड़ डॉ. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज (डॉ. एजीएलसी), पुडुचेरी ने अपने न्याय ओली प्रोजेक्ट के तहत 30 मई, 2024 को केंद्रीय कारागार, पुडुचेरी के 50 कैदियों के साथ एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। 30 मई 2024 को सेंथिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पुडुचेरी में 44 छात्रों के साथ एक न्याय ओली क्लब का उद्घाटन किया गया। डॉ. एजीएलसी भी 107 प्रतिभागियों तक वर्चुअल रूप में पहुंचे।

च. विधि अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी, असम ने 29 मई, 2024 को पूर्वोत्तर भारत के समकालीन परिप्रेक्ष्य में प्रथागत कानूनों की प्रासंगिकता, विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जिसमें शिक्षाविदों, राजनेताओं, पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय और जातीय समूहों के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

छ. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूरु, कर्नाटक ने प्रत्येक तालुक में ब्लॉक स्तर के संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों के लिए बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर, एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और 246 संसाधन संपन्न व्यक्तियों और 1230 नागरिकों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

ज. मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए), शिलांग, आधारभूत सर्वेक्षण संचालित करने की प्रक्रिया में है जहां मेघालय के री-भोई जिले में 63 प्रतिभागियों का सर्वेक्षण किया गया।

6. <u>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए):</u>

नालसा (एनएएलएसए) के तत्वावधान में, 11 मई, 2024 को 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 4.06 लाख से अधिक प्रि-लिटिगेशन मामलों और 6.94 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया।

*****